



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 04.07.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.12.2022 को अभियुक्तगण जाहिद पुत्र बुन्दू निवासी बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर आदि 03 नफर के विरुद्ध भौतिक एवं आर्थिक लाभों की पूर्ति के उद्देश्य से क्षेत्र में वाहन चोरी जैसे अपराध कारित कर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम किये जाने के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 888/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 04.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-VI/गैंगस्टर अधिनियम जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 888/22 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त जाहिद पुत्र बुन्दू निवासी बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- जाहिद पुत्र बुन्दू निवासी बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक - 04.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 602/2024 धारा 363 भादवि में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 21.06.2024 को अभियुक्त (बाल अपचारी) वादिनी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 602/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.07.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार/अभिरक्षा मे लिये गये बाल अपचारी का नाम व पता –

बाल अपचारी

बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 मीर हसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 119 अरशद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. आरक्षी 1738 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. आरक्षी 54 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना

दिनांक- 04.07.2024

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 186/24 धारा 363/376 भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.06.2024 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ शादी कार्यक्रम में गया था जहां से उसकी पुत्री लापता हो गई । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त नवाजिश पुत्र शमीम निवासी ग्राम मौनपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2024 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित नाबालिग लडकी को बरामद किया गया तथा अभियोग में धारा 376 भादवि व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नवाजिश पुत्र शमीम निवासी ग्राम मौनपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नवाजिश पुत्र शमीम निवासी ग्राम मौनपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1056 अंकित थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक- 04.07.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.07.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विशाल पुत्र सत्ते निवासी ग्राम रहटी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र सत्ते निवासी ग्राम रहटी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सुशील पँवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 593 ब्रजकिशोर शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक- 04.07.2024

थाना नहतौर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.07.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त फैय्याज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम शेखुपुरा लाला थाना नहतौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैय्याज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम शेखुपुरा लाला थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 रोबिन कौशिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1861 विकाश कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 04.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.07.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तगण यशपाल पुत्र स्व० रामरतन सिंह निवासी मौ० हिन्दु चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व भूरे उर्फ अंग्रेज उर्फ रफीक पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. यशपाल पुत्र स्व० रामरतन सिंह निवासी मौ० हिन्दु चौधरियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2. भूरे उर्फ अंग्रेज उर्फ रफीक पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम बुढनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
3. हे०का० 137 असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
4. हे०का० 535 भजनलाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।